International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
April- 2020, Volume-7, Issue-2
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

भारत में चुनाव आयोग की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन

Ms. Sunita Kumari
Scholar
Department of Political Science
Malwancha University, Indore(M.P.)

Manoj Kumar
Supervisor
Department of Political Science
Malwancha University, Indore(M.P.)

सार

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव स्वस्थ लोकतांत्रिक जीवन का मुख्य स्रोत है और इसकी ताकत और जीवन शक्ति का बैरोमीटर है। इसलिए निर्वाचन प्रशासन को कार्यपालिका और विधायिका के दबाव और हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। यह सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए निष्पक्षता सुरक्षित करने में सक्षम होना चाहिए। सफल चुनावी प्रणाली (1) लोगों द्वारा अपने वोट के महत्व के बारे में जागरूकता और उनके लिए समुदाय में इसे जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता, (2) एक भावना जो व्यक्ति के लाभ के बजाय सभी के कल्याण की ओर देखती है और (3) एक मजबूत चुनावी तंत्र को भारत में लोकतंत्र के गढ़ के रूप में देखा जा सकता है।

संपूर्ण निर्वाचन प्रशासन निर्वाचन आयोग में निहित है, जिसके पास निर्वाचक नामावली की तैयारी और संशोधन और चुनाव के संचालन में लगे विभिन्न अधिकारियों और अन्य सभी को निर्देश जारी करने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह एक स्वतंत्र स्थिति और कार्यकाल की सुरक्षा के साथ संवैधानिक कद में एक अद्वितीय स्थान हासिल कर लिया है। इसके विपरीत, चुनावों के सफल संचालन के लिए इसे देश और विदेश दोनों जगह भरपूर सम्मान मिला है।

चुनाव आयोग ने निरक्षर मतदाताओं के बीच स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करके औपचारिक शिक्षा और राजनीतिक परिपक्वता के बीच अंतर्संबंध के मिथक को तोड़ दिया है। हालांकि, चुनावों के दौरान भ्रष्ट आचरण और चुनाव का दौर, जो हमारी राजनीतिक नैतिकता की निम्न स्थिति का संकेत है।

प्रमुख शब्दः– चुनाव, स्वतंत्र और निष्पक्ष।

प्रस्तावना

चुनाव लोकतंत्र की नींव है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में इसके साथ बहुत सारे कदाचार जुड़े हुए हैं। यह उम्मीदवारों और उनकी पार्टियों द्वारा सार्वजनिक नैतिकता के सबसे कम आम भाजक पर की जाने वाली प्रतियोगिता है। राजनीतिक दलों ने व्यापक मुद्दों, राष्ट्रीय नीतियों और आसमान में पाई के वादों से संबंधित प्रतिनिधि को उम्मीदवार बनाकर मतदाता और प्रतिनिधि के बीच की कड़ी को कमजोर कर दिया है। मतदाता एक दर्शक बन जाता है और राष्ट्रीय मामलों में भागीदार नहीं होता है। अलगाव की यह प्रक्रिया और बढ़ जाती है। सबसे छोटे एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में लगभग एक मिलियन मतदाता हैं। मतदाता शायद ही कभी उस व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसे वह वोट देना चाहता है। लोकतंत्र के लिए यह मुश्किल है कि वह उस बढ़ती हुई लपटों से बाहर निकले जिससे उसे चुनाव की अवधि के दौरान भेजा जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यक्तिगत नागरिक को उसके सही स्थान पर बहाल करने के लिए तरीकों को तैयार करने की आवश्यकता है।

चुनावी सुधारों के मामले में, एक सांसद को चुनावी सुधारों से परे जाकर देश में व्याप्त अस्वस्थता से निपटना होता है। नहीं तो स्थिति और खराब हो जाएगी। और कानून और व्यवस्था के टूटने का परिणाम होगा जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक व्यवस्था टूट जाएगी। एक नई राजनीतिक संस्कृति विकसित करने का समय आ गया है। किसी भी विदेशी चुनावी या राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से भारतीय स्थिति के रूप में तैयार नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से कुछ संशोधनों की आवश्यकता होगी। निर्वाचन, संवैधानिक उपबंधों, जिनका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा अनुपूरण किया जाता है, के अनुसार संचालित किए जाते हैं।

साहित्यिक पृष्ठभूमि

(रजा, 2010) ने वर्णन किया कि वास्तव में, सहभागी लोकतंत्र को हमेशा पोषित किया गया है और सरकार जो राज्य की सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकती है वह वह है

जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में, राजनीतिक संस्था के रूप में चुनावों को न केवल राज्य की संप्रभु शक्ति में बल्कि सरकार के दिन–प्रतिदिन के कामकाज में भी लोगों की भागीदारी को समायोजित करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी।

(मालवीय, 2010) ने चर्चा की कि फिर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में चुनाव सरकारी मशीनरी के सुचारू कामकाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चुनाव आयोग को इस मामले पर गौर करना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो रही है। इसका यह भी कर्तव्य है कि न केवल चुनाव आयोग बल्कि लोगों का भी। मतदाता, जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, उन्हें संतुष्ट होना चाहिए कि उन्होंने अपना वोट उस उम्मीदवार को सफलतापूर्वक डाला है जिसे वे वोट देना चाहते थे।

(नाइक, 2010) ने ध्यान दिया कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक 'चुनाव' है जो एक व्यवस्थित समय पर आयोजित किए जाते हैं। चुनावी प्रणाली एक आधिकारिक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जहां नागरिक सार्वजनिक पद के लिए उम्मीदवार का चयन करते हैं। चुनाव सुधारों का उद्देश्य निष्पक्ष चुनावों के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली शुरू करना है। चुनाव हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ हैं जो हमारे प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार प्रदान करती हैं और ऐसी शासन प्रणाली से आम जनता के कल्याण को सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है। संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं।

(नारायणस्वामी, 2010) ने कहा कि सरकारों के अन्य रूपों की तुलना में, लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप है, क्योंकि सरकार के लोकतांत्रिक रूप में, सरकार देश के आम लोगों द्वारा चुनी जाती है जो प्रत्येक नागरिक को वोट डालने की अनुमति देती है। और जाति, रंग, पंथ, धर्म या लिंग के बावजूद अपना प्रतिनिधि चुनें। ताकि, स्वतंत्रता के बाद, भारत ने कई राजनीतिक दलों की व्यवस्था के साथ सरकार के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया है, और अब यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक चुनाव सबसे महत्वपूर्ण खंड होता है, जो लोगों के प्रतिनिधियों को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(कुमार, 2010) ने चर्चा की कि भारतीय संविधान ने संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर मतदान का अधिकार दिया है। चुनाव संसदीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो समय–समय पर नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए लोगों का विश्वास और विश्वास जरूरी है। 90 करोड़ मतदाताओं के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए, राजनीतिक स्थिरता और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक हैं।

(कार्टर एंड फैरेल, 2010) ने संक्षेप में कहा कि चुनावी प्रणालियों की दुनिया भीड़ और जटिल है, और हर समय अधिक होती जा रही है। विभिन्न चुनावी प्रणालियों के बीच विविधताओं की सीमा एक स्वीकार्य टाइपोलॉजी का उत्पादन करने वाले विश्लेषक के लिए जीवन को काफी कठिन बना देती है। एक विकल्प यह हो सकता है कि सिस्टम के वर्गीकरण को उनके आउटपुट के आधार पर आधार बनाया जाए, यानी वोटों को सीटों में अनुवाद करने की प्रक्रिया के संदर्भ में, जहां कोई उन प्रणालियों के बीच अंतर करता है जिनके 'आनुपातिक' परिणाम होते हैं और जो 'गैर–आनुपातिक' होते हैं।

चुनाव का आयोजन

चुनाव की अधिसूचना, जारी होने के पश्चात् चुनाव आयोग नामांकन भरने की अंतिम तिथि जारी करता है, नामांकनों की जाँच–पड़ताल की तिथि जारी करता है, उम्मीदवार द्वारा नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि जारी करता है, चुनाव होने की तारीख या तिथियां जारी करता है, और वह तिथि जारी करता है जिससे पूर्व चुनाव संपन्न किए जाएंगे।

कोई व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया जा सकता है यदि वह विधि के तहत चुने जाने के लिए अर्ह है। गैर–पंजीकृत राजनीतिक दल के सदस्य के नामांकन पत्र का दस समर्थकों का समर्थन होना चाहिए।

आम चुनाव में कोई व्यक्ति दो से अधिक संसदीय, राज्य विधानसभा एवं राज्य विधानपरिषद् निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार नामित नहीं किया जाएगा।

एक उम्मीदवार की अन्य सूचनाओं की तरह यह सूचना देनी होगी कि क्या उसे किसी दंडनीय अपराध के लिए जिसमें दो वर्ष का कारावास है या दो वर्ष से अधिक की सजा वाले लंबित मामले में सक्षम न्यायालय ने आरोप तय किए हैं या दोषी ठहराया है।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव की स्थिति में एक उम्मीदवार को 10,000 रुपए जमा कराने होगे या उम्मीदवार के अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित होने की स्थिति में 5,000 रुपए जमा करने होंगे, प्रावधान किया गया है जहां उम्मीदवार को एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक से अधिक नामांकन पत्रों के लिए नामित किया गया है, इस उपधारा के तहत् उसे एक बार से अधिक धनराशि जमा नहीं करनी होगी।

चुनाव आदर्श आचार संहिता

चुनाव आयोग ने सर्वप्रथम पांचवें आम चुनाव (1971) में चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता से जुड़े कुछ निर्देशों की घोषणा की। वैसे आदर्श आचार संहिता की शुरुआत वस्तुतः 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव से मानी जाती है।

चुनाव आदर्श आचार संहिता विभिन्न राजनीतिक दलों व उनके उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए कतिप निर्देशों का एक समुच्चय है जो देश के उन राजनीतिक दलों के मतैक्य के पश्चात् तैयार किया गया है जो कि संहिता द्वारा उल्लिखित सिद्धांतों को मानने के प्रति अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में एक समान आधार स्तर उपलब्ध कराने के साथ–साथ प्रचार को निष्पक्ष व स्वस्थ रखना, राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष व विवाद से बचाव तथा शांति व व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र या राज्य में सत्तारूढ़ दल किसी चुनाव में अनुचित लाभ के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग न कर पाए।

मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शतें

मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कार्यकारी विवेक से स्वतंत्र होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिए गए पद के कार्यकाल की संवीक्षा के समान है। कभी–कभी चुनाव आयोग एक न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, जहाँ तक प्रतीक मामलों में उदाहरण है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और आम तौर पर भारत सरकार के एक अधिकारी को चुना जाता है, जो सरकार के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हो गया है।

निर्वाचन मामलों में न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद संविधान के अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेह और विवादों की जांच के प्रयोजनों के लिए संविधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। यह संसद को कानून द्वारा इसे विनियमित करने के लिए अधिकृत करता है अनुच्छेद 71(3),। उस शक्ति के अनुसरण में संसद ने राष्ट्रपति और उप–राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 को अधिनियमित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका के परीक्षण के लिए उसके समक्ष प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए नियम भी बनाए हैं। खरे एनबी बनाम भारत के चुनाव आयोग में, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 71, 1952 के अधिनियम और नियमों के अंतर्संबंध पर विचार किया। यह माना गया कि एक चुनाव को केवल उसी मामले में चुनौती दी जा सकती है जो अधिनियम और नियमों दोनों की शर्तों को पूरा करता है। इन शर्तों में से एक यह है कि याचिकाकर्ता को 1952 के अधिनियम की धारा 14 के तहत याचिका पेश करने का हकदार व्यक्ति होना चाहिए और इसे नियमों में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 329 (बी) में प्रयुक्त ''चुनाव '' शब्द के अर्थ से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

''यह शब्द लंबे समय से लोकतांत्रिक संस्था में उचित प्रतिनिधि के खंड की प्रक्रिया के संबंध में उपयोग किया गया है, जिसका व्यापक और संकीर्ण अर्थ दोनों प्राप्त हुआ है।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में चुनाव आयोग की भूमिका

भारत में सांप्रदायिक राजनीति ने विभिन्न धर्मों के लाखों लोगों के लिए भारी रक्तपात और दुख को जन्म दिया। सांप्रदायिक राजनीति की विरासत विभाजन के बाद भी जारी रही और हाल ही में, चुनावों में समुदाय और जाति पर निर्भरता बढ़ी है, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा है।

धर्म जाति या जाति का नाम रखने वाले राजनीतिक दल को या तो पूर्ण या आंशिक रूप से चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। एक पंजीकृत राजनीतिक दल के संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि इसकी सदस्यता धर्म, जाति, जाति या भाषा के बावजूद सभी के लिए खुली है। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है।

धन और बाहुबल का भारत में चुनावों से बहुत गहरा संबंध है। भारत में चुनाव महंगे हैं। राजनीतिक दल चुनावी खर्च को पूरा करने के लिए पार्टी फंड इकट्ठा कर रहे हैं। यह बदले में राजनीतिक भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है जो नौकरशाही भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। राजनीतिक दल पार्टी के फंड और प्राप्त चंदे और उसके द्वारा किए गए खर्च के नियमित खातों का रखरखाव नहीं कर रहे हैं। ऐसे खातों की लेखा परीक्षा किसी नियमित लेखा परीक्षा निकाय द्वारा नहीं की जाती है।

बूथ कैप्चरिंग, हेराफेरी और अन्य जैसे किसी भी गड़बड़ी के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग हैं। बूथ कैप्चरिंग और धांधली गतिविधियों के उद्देश्य से राजनीतिक

दल चुनाव के समय बड़े पैमाने पर असामाजिक तत्वों को बनाए रखते हैं। आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यहां तक कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उपसंहार

चुनाव सुधारों से संबंधित कई प्रतिक्रियाएं हैं और आपातकाल के दिनों से पहचानी जाती हैं। प्रशासनिक लागत के संदर्भ में, सुधारों की सराहना नहीं की गई है। अधिक प्रशासनिक दृष्टिकोण वाला कोई भी सुधार प्रतिकूल साबित होगा । प्रशासनिक बहाने और राजनीतिक नेताओं के उत्पीड़न की भी सूचना मिली। कुछ स्थानों पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के मामले भी सामने आए।

धन और बाहुबल को कम करने में सुधारों का एक बड़ा प्रभाव है, लेकिन यह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता है। कई बार वे काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं । चुनावी कदाचार के खिलाफ समाज को आवाज उठानी चाहिए। भारत में राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, जहां नागरिकों, सरकार और राजनीतिक दलों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हमारे समाज के सभी वर्गों के मूल्यों में लगातार गिरावट आ रही है। राजनीति के अपराधीकरण ने राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज पर अत्यधिक दबाव डाला है। तस्वीर का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि राजनीति में प्रवेश के लिए ''आपराधिक रिकॉर्ड'' एक आवश्यक योग्यता बन जाता है। भारत में राजनीति अब समाज सेवा नहीं रह गई है, बल्कि यह एक आकर्षक व्यवसाय के रूप में उभरी है। आज यह विश्वास करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि अपराध भारत की विधायिका और संसद तक सबसे कम पहुंच है। चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की आगे की सफलता दर देश के युवा रक्त को उनके लिए नकारात्मक प्रेरणा के स्रोत के रूप में आकर्षित कर रही है। अब यह माना जाता है कि अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना राजनीति है और राजनीतिक दल अपनी बाहुबल और धन शक्ति के कारण अपराधियों को उनके साथ जोड़ने में अधिक बढ़ गए हैं।

संदर्भः–

1. हजारिका, बी. (2015बी)। भारत में मतदान व्यवहार और इसके निर्धारक। आईओएसआर जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस 25. विचार। (2012)।
2. संक्रमण के दौरान चुनावी प्रबंधन (अगस्त)।
3. जर्नल, यूजीसीसी कन्नमणि रामासामी (2010)। भारत की चुनावी व्यवस्था में औरतपी बदलाव की जरूरत – चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का मामला तथापी । 30 , 281–305।
4. के सुमना के, केएसके (2011)। भारत में चुनावी सुधार इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च , 4 (7), 297–298।
5. कियानी, ए।, और कानून, आईपी (2016)। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव के कार्य । 7969 (20), 20–35।
6. कुहने, डब्ल्यू। (2010)। उभरते लोकतंत्रों और संघर्ष के बाद के देशों में चुनावों की भूमिका प्रमुख मुद्दे, सीखे गए सबक और दुविधाएं। मारियस मुलर–हेनिग वैश्विक शांति और सुरक्षा नीति , 10.
7. कुमार, वी. (2010)। भारत में चुनावी सुधारः जरूरतें, मुद्दे और चुनौतियां। लोक नीति और प्रशासन अनुसंधान , 9 (जनवरी), 17–31. कानून, ई।,
8. चुनाव, पी।, और प्रक्रिया, ई। (2018)। यूनिट 1 चुनावी प्रणाली और राजनीतिक।
9. लिजफर्ट, ए। (2011)। चुनावी प्रणाली और पार्टी प्रणाली। चुनावी सिस्टम और पार्टी सिस्टम
10. लौरा, जे। (2014)। भारत में चुनाव सुधार राजनीति के अपराधीकरण और अस्वीकार करने का अधिकार– एक समीक्षा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज रिसर्च , 3 (3), 35–40।